

12.12.22

पेश हुआ। पुकार पर प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु प्रार्थी की ओर से न तो कोई बोल रहा है और न ही कोई स्थगन दिया गया है। प्रार्थी विगत 18 तिथियों से गैर हाजिर चल रहा है। इस स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

सी0जे0एम0,बरेली